बैंक ऑफ़ बड़ौदा

कॉर्पोरेट कार्यालय

बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई

सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति

यह नीति कार्यसूची की मद सं- के – 01 दिनांक 31 जुलाई 2013 से निदेशक मंडल द्वारा अंतिम बार अनुमोदित हुई है.

हमारे बैंक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति (सांविधिक केन्द्रीय और सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों) भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक से समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर की जा रही है.

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2014-15 और उसके बाद जारी दिशानिर्देशों में परिवर्तनों के अनुसार सांविधिक केन्द्रीय/शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की संशोधित नीति बनाई गई है.

1.0 सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :-

1.1 लेखा परीक्षा फर्मों की संख्या

भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए स्वायत्तता प्रदान कर दी है.

भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एससीए की संख्या निर्धारित की जाती है.

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने वाले लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या बैंक की श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाएगी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – श्रेणी – ए (बड़े बैंक), श्रेणी बी (मझौले बैंक) और श्रेणी सी (लघु बैंक).

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को श्रेणी 'ए' में वर्गीकृत किया गया है और इसके पास 6 एससीए से ज्यादा नहीं होने चाहिए.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में हमारे बैंक में एससीए की संख्या – 6 है.

1.2 एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षा फर्म की पात्रता :-

पात्रता मानदंड (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित) निम्नानुसार है :-

i) फर्म के साथ न्यूनतम 7 पूर्णकालिक सनदी लेखाकार होने चाहिए, जिनमें से न्यूनतम 5 पूर्णकालिक भागीदार होने चाहिए. शेष बचे हुए 2 या तो विशेष भागीदार या एक वर्ष की अवधि के लिए फर्म के साथ निरंतर सीए कर्मचारी होने चाहिए. इन भागीदारों का फ़र्म के साथ आगे किए गए उल्लेख के अनुसार जुड़ाव होना चाहिए. अर्थात इन दो में से एक का फर्म के साथ विगत 15 वर्ष एवं दूसरे का 10 वर्षों से निरंतर संबंध होना चाहिए और दो में से प्रत्येक का न्यूनतम 5 वर्षों से और एक सदस्य का न्यूनतम 1 वर्ष से कंपनी से जुड़ाव होना आवश्यक है. चार भागीदार एफसीए होने चाहिए. इसके साथ ही कम से कम 2 भागीदारों को न्यूनतम 15 और 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए. यदि फर्म के साथ वैतनिक सनदी लेखाकर बिना किसी सेवा व्यवधान के है, तो उसे भविष्य की तिथि के लिए उक्त फर्म का भागीदार मान लेना चाहिए. उसके फर्म के साथ की भागीदारी उसके वैतनिक सनदी लेखाकार के रूप में नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी.

ii) व्यावसायिक स्टाफ की संख्या (टंकक, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर परिचालक, सचिव / वों और अधीनस्थ स्टाफ आदि को छोड़कर) लेखा शास्त्र और बही खाता रखने के ज्ञान के साथ लेखापरीक्षा और आर्टिक्ल लिपिकों और आउटडोर लेखा परीक्षा में शामिल न्यूनतम 18 होना चाहिए.

iii) फर्म न्यूनतम 15 वर्षों से स्थापित होनी चाहिए, जो कि फर्म के साथ एक पूर्ण कालिन एफसीए की उपलब्धता की तारीख से माना जाएगा.

iv) फर्म के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (राष्ट्रीयकरणों के पहले या बाद) और /या रु. 500 करोड़ से अधिक की जमा संसाधनों के साथ निजी बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षा का 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए. यदि किसी मामले में लेखा परीक्षा फर्म के भागीदार कम से कम तीन वर्ष की या उससे अधिक अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निदेशक मंडल में नामित किए / चुने जाते है, तो उसके/ उनके अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए ऐसे अनुभव को बैंक लेखा परीक्षा अनुभव के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि ऐसा अनुभव उसके/उनकी फर्म को पीएसबी, ऑल इंडिया वित्तीय संस्थानों या भारतीय रिजर्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षक के सौंपे गए दायित्व के कारण अर्जित नहीं किया गया हो.

v) फर्म के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (या तो केन्द्रीय या राज्य सरकार उपक्रम) का कम से कम 5 वर्षों का सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुभव होना चाहिए. (यदि फर्म को किसी विशिष्ट वर्ष में या एक वर्ष से अधिक का सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान एकाधिक कार्य दिया जाता है, तो ऐसे अनुभव की गणना करने के प्रयोजन से केवल एक वर्ष का ही अनुभव माना जाएगा.

vi) फर्म के कम से कम दो भागीदार या वैतनिक सनदी लेखाकार के पास सीआईएसए/डीआईएसए अर्हता होनी चाहिए.

<u>उपर्युक्त के अलावा :-</u>

क. पात्र लेखापरीक्षाओं /लेखापरीक्षा फर्मों को बैंक के लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 141 की प्रावधानों के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए.

ख. लेखापरीक्षक / उसके रिश्तेदार रु. 1000/- से अधिक राशि के लिए ऋणी नहीं होने चाहिए.

ग. लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षा फर्म / उनके रिश्तेदार किसी भी अन्य बैंक वित्तीय संस्थान के इरादतन चूककर्ता नहीं होने चाहिए

घ. लेखापरीक्षक /लेखापरीक्षा फर्म द्वारा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य नहीं करना चाहिए.

ङ. लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षा फर्म द्वारा उनको सौपें गए लेखापरीक्षा का उप-करार नहीं करना चाहिए.

च. लेखापरीक्षा फर्म भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पीयर समीक्षा प्रणाली के अधीन है और उनके पास पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र होना चाहिए.

1.3 चयन प्रक्रिया :-

एससीए का चयन और नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को प्रदान कर दी गई है.

बैंक द्वारा एससीए के चयन के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

- सीएण्ड एजी द्वारा प्रदान की गई पात्र फर्मों के सूची की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी.
- भारतीय रिजर्व बैंक अपने रिकॉर्ड से यह सत्यापित करेगा कि फर्म के पास न्यूनतम 15 वर्षों का बैंक लेखापरीक्षा का अनुभव हैं.
- भारतीय रिजर्व बैंक / सी एंड एजी लेखापरीक्षा करने से रोके गए फर्मों के नामों को छोड़कर पात्र निरंतर लेखा परीक्षकों, अनिरंतर लेखापरीक्षकों, रेस्टेड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव को ठुकराए हुए फर्मों की एक अलग सूची भारतीय रिजर्व बैंक बनाएगा. निरंतर पात्र लेखापरीक्षा फर्मों को अनुभवी लेखापरीक्षा फर्म एवं नए लेखापरीक्षा फर्म में विभाजित किया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1) निरंतर फर्मों की सूची (अर्थात ऐसे लेखा परीक्षा फर्मों की सूची जिन्होंने 3 वर्ष की लेखा परीक्षा नहीं की है) 2.) फर्मों की सूची जो रेस्ट / विराम पर है. 3) पात्र और अनिरंतर लेखा परीक्षा फर्मों की सूची दो भागों में अर्थात अनुभवी लेखापरीक्षा फर्म और नए लेखापरीक्षा फर्म उपलब्ध कराएगा.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एससीए के रूप में सूचीबद्धता के लिए आवेदन करने वाले लेखापरीक्षा फर्मों को इस आशय का घोषणापत्र देना आवश्यक होगा कि पीएसबी में चयन के मामले में, वे निजी बैंकों / विदेशी बैंकों / आरबीआई /वित्तीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय आवास

बैंक, एक्जिम बैंक आदि अपने विद्यमान कार्य को छोड़ देंगे और एक बार चयन होने के बाद वह पीएसबी की नियुक्ति को अस्वीकार नहीं करेंगे.

- एससीए की नियुक्ति का आवंटन अनुभवी और 'नए' लेखापरीक्षा फर्मों के बीच 60:40 के अनुपात में किया जाएगा. अनुपात 60:40 के संबंध में, बैंक द्वारा निकटतम राउंड नंबर का चयन किया जाएगा. इस प्रयोजन के लिए , अनुभवी फर्म किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षा का अनुभव वाला फर्म है और नए फर्म ऐसे है, जिनको ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है.
- अंतिम चयन करते समय, बैंक द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा

➢ जहां तक संभव हो, न्यूनतम दो लेखापरीक्षा फर्म जिनका प्रधान कार्यालय उसी स्थान पर स्थित है जहां बैंक का प्रधान/ केन्द्रीय कार्यालय स्थित हो, आवंटित किया जाना चाहिए.

➢ उन लेखापरीक्षा फर्मों का चयन नहीं किया जाएगा यदि विराम पर जाने से पहले वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा छोड़ चुके हैं.

➢ फर्म जिसके भागीदार / रों का बैंक के निदेशक मंडल (बैंक ऑफ़ बड़ौदा) में चयन हुआ हो, बैंक के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

➢ लेखापरीक्षा फर्म विशिष्ट वर्ष के दौरान बैंक के केन्द्रीय या शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे अर्थात फर्म किसी अन्य पीएसबी में उसी समय केन्द्रीय/ शाखा लेखापरीक्षक नहीं हो सकता है.

➢ लेखापरीक्षा फर्म से लिखित सहमति लेने के बाद बैंक द्वारा चयनित लेखापरीक्षा फर्म/फर्मों को 3 वर्षों के लिए चयन से रोक दिया जाएगा यदि फर्म बगैर किसी उचित आधार जो कि भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्टि के अनुरुप न हो, के नियुक्ति के प्रस्ताव को मना कर दे.

➢ चयन के बाद, सांविधिक आवश्यकता के अनुसार, बैंक चयनित एससीए के नाम वास्तविक नियुक्ति के पूर्व अनुमोदन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा.

➢ बैंक के वार्षिक लेखापरीक्षा के बाद एससीए की लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का फीडबैक पीएसबी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया जा सकता है.

<u>अन्य दिशानिर्देश :</u>

1) लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षा फर्मों की स्वच्छंदता को ध्यान में रखते हुए, बैंक निरंतर 3 वर्ष की अवधि के लिए एससीए की नियुक्ति करेगा बशर्ते कि फर्म प्रत्येक वर्ष पात्रता मानदंडो को पूरा करता हो. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना उपर्युक्त अवधि के लिए लेखापरीक्षा फर्म को निकाल नहीं सकेगा.

2) एससीए के रूप में तीन वर्ष कि अवधि को पूरा करने के बाद कूलिंग ऑफ अवधि 3 वर्षों का रहेगा.

1.4 नियुक्ति के लिए प्रक्रिया :-

- बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडो के अनुसार, अनुभवी और नए लेखापरीक्षा फर्मों में से आवश्यक अनुपात को ध्यान में रखते हुए और सेवानिवृत्ति के उपरांत होने वाली रिक्तियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुभवी / नए पात्र फर्मों कि सूची में से उचित लेखापरीक्षा फर्म / फर्मों को चुनना (वर्तमान में आवश्यक अनुपात 60:40 है).
- कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान विभाग से तीन कार्यपालकों की टीम, महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के मार्गदर्शन में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त लेखापरीक्षा फर्मों की सूची में से नामों को शॉर्टलिस्ट करेंगे.
- बैंक में एससीए की नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार करने हेतु लेखापरीक्षा फर्मों से लिखित रूप में अविकल्पी स्वीकृति प्राप्त करना.
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की सहमति से उचित अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को चयनित एससीए फर्मों के नाम भेजना / प्रेषित करना.
- एसीबी / निदेशक मंडल को उनके अनुमोदन के लिए एससीए के नामों की संस्तुति करना (भारतीय रिजर्व बैंक से सहमति प्राप्त करने के बाद).
- भारतीय रिजर्व बैंक / निदेशक मंडल की अनुमति के बाद एससीए को नियुक्ति पत्र जारी करना.

1.5 नियुक्ति कि अवधि :

लेखापरीक्षा फर्म की अवधि 3 वर्षों के लिए होगी बशर्ते कि निदेशक मंडल / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक अनुमोदन प्राप्त हो.

1.6 सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक को देय शुल्क

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों को भारतीय बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शुल्क देय होगा.

2.0 सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति

2.1 लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या

भारतीय रिजर्व बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आवंटन मानदंडो के अनुसार लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर किए जाने वाले शाखाओं की संख्या पर लेखापरीक्षा फर्मों कि संख्या निर्भर होगी.

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजुदा दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक को 3 से अधिक शाखाएं आवंटित नहीं की जा सकती. सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु किसी भी एससीए फर्म की अधिकतम 5 शाखाओं के साथ बैंक की टॉप 20 शाखाओं सौंपी जानी है.

2.2 <u>लेखापरीक्षा फर्मों की पात्रता :-</u>

लेखापरीक्षा फर्मो के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित पात्रता मानदंड होंगे. चयनित लेखापरीक्षा फर्मों को निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा :-

- पात्र लेखापरीक्षाओं /लेखापरीक्षा फर्मों को बैंक के लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 141 की प्रावधानों के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए.
- लेखापरीक्षक / उसके रिश्तेदार रु. 1000/- से अधिक राशि का ऋणी नहीं होने चाहिए.
- लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षा फर्म / उनके रिश्तेदार किसी भी अन्य बैंक वित्तीय संस्थान के इरादतन चूककर्ता नहीं होने चाहिए.
- लेखापरीक्षक /लेखापरीक्षा फर्म द्वारा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य नहीं किया गया हो.
- लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षा फर्म उनको सौपें गए लेखापरीक्षा का उप-करार नहीं करना चाहिए.
- सांविधिक लेखापरीक्षा फर्मों के संयुक्त फर्म/ सहयोगी संस्था विशेष नियत कार्य नहीं कर सकते है जहां मुख्य फर्म/ भागीदार की विशिष्ट वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा आवंटित की गई हो.
- लेखापरीक्षा फर्म विशिष्ट वर्ष के दौरान बैंक के केन्द्रीय या शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे अर्थात फर्म किसी अन्य पीएसबी में उसी समय केन्द्रीय/ शाखा लेखापरीक्षक नहीं हो सकता है.

<u>2.3 चयन /नियुक्ति के लिए प्रक्रिया :-</u>

- लेखापरीक्षा की जाने वाली शाखाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समग्र बैंक के लिए एसबीए रिक्तियों का श्रेणीवार / अंचल वार संख्या का निर्धारण कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान विभाग द्वारा किया जाएगा. प्रत्येक अंचल के लिए एसबीए की श्रेणीवार आवश्यकता निर्धारित करते समय, शाखा का आकार और लेखापरीक्षा फर्म की श्रेणी पर इस प्रकार से विचार किया जाना है कि सभी श्रेणियों के लेखापरीक्षा फर्मों में उचित मिलान हो और उच्च श्रेणी के लेखापरीक्षा फर्मों को बड़ी शाखाएं आवंटित की जाए.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई पात्र फर्मों की सूची से लेखापरीक्षा फर्म का चयन किया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक पात्र फर्मों की सूची दो श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान करेगा – i)

निरंतर फर्म और ii) संस्तुत फर्म (अर्थात ऐसी सूची जिसमें से नए फर्मों का चयन किया जा सकता है)

- कॉर्पोरेट खाते और कराधान विभाग को अंचलवार / राज्यवार निरंतर एसबीए की सूची विभाजित करनी होगी और बैंक की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक अंचल में एसबीए (अर्थात नए एसबीए) की अतिरिक्त संख्या का अंतिम निर्णय लेना होगा.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई संस्तुत लेखापरीक्षा फर्मों (नॉन कंटीन्यूइंग फर्मों) की सूची में से नए लेखापरीक्षकों की आवश्यक संख्या का चयन किया जाएगा. लेखापरीक्षा फर्म का जो निरंतरता के लिए पात्र है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निरंतर लेखापरीक्षकों की सूची से चयन किया जाएगा.
- कॉर्पोरेट खाते और कराधान विभाग अंचल कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उनके संबंधित अंचल में कार्यालय वाले नए एसबीए की सूची श्रेणीवार प्रदान करेंगे. जिनको नए एसबीए के रूप में नियुक्ति के लिए अनुरोध भेजना और ऐसे विनिर्दिष्ट फर्मों से अविकल्पी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है.
- शॉर्टलिस्ट कि गई लेखापरीक्षा फर्मों से इस प्रकार की स्वीकृति / घोषणापत्र प्राप्त करने के लिए बीसीसी में उप महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट खाते और कराधान) व संबंधित अंचलों में उप अंचल प्रबंधक प्राधिकृत है.
- अंचल कार्यालय को उप अंचल प्रबंधक और एक कार्यपालक / वरिष्ठ अधिकारी के साथ समिति स्थापित कर एसबीए का चयन करना / अंतिम रूप देना होगा. समिति को एसबीए का चयन करते समय यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई लेखापरीक्षकों की सूची में से स्थानीय लेखापरीक्षकों की फर्म को चुनकर लागत को कम किया जाए.
- यदि स्थानीय लेखापरीक्षा फर्म पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो राज्य में / निकटवर्ती राज्य से/अन्य राज्य में से समीप के स्थान से लेखापरीक्षकों पर विचार करना होगा.
- अंचल कार्यालय को चयनित एसबीए से अविकल्पी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सहमति के लिए कॉर्पोरेट खाते और कराधान विभाग को चयनित लेखापरीक्षा फर्मों की सूची प्रस्तुत करनी हैं. इस सूची में संबंधित अंचल के लिए नए चयनित लेखापरीक्षा फर्म और निरंतर लेखापरीक्षा फर्मों की जानकारी होनी चाहिए.
- कॉर्पोरेट खाते और कराधान विभाग, लेखापरीक्षा फर्मों कि जांच के बाद चयनित / विनिर्दिष्ट फर्मों की जानकारी अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, कॉर्पोरेट खाते और कराधान विभाग एसबीए के नाम और नंबर अनुमोदन के लिए एसीबी/ निदेशक मण्डल के समक्ष नोट प्रस्तुत करेगा. एसीबी

/निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एसबीए को नियुक्ति पत्र जारी करने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अंचलों को सूचित किया जाएगा.

2.4 सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों को देय शुल्क

सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों को भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार शुल्क देय होगा.

3.0 अन्य :-

3.1 शिकायत निवारण :-

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों या सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के चयन और उनको शाखाओं के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की शिकायतों का निपटान महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट खाते और कराधान विभाग एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) द्वारा किया जाएगा.

एससीए / एसबीए के चयन / नियुक्ति पर भा.रि. बैं / भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी अनुवर्ती दिशानिर्देशों / निदेशों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.

बैंक इस नीति में समय-समय पर संशोधन करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है.